Drug peddler from Patiala held with ₹4 lakh heroin

Times News Network

Drug peddler Pavittar Singh (centre) with the Sarangpur police

Chandigarh: The UT police have arrested a drug peddler for possessing heroin and banned injections near Botanical Garden in Sarangpur on Friday night.

The cops have recovered 110gm heroine, which amount to a market value of around Rs 4 lakh.

According to the police, the suspect used to bring heroin from Delhi and sold it in the city and in other parts of Punjab. The cops also recovered 10 banned vials from the suspect's possession.

The accused, who has been identified as Pavittar Singh (31), resident of Hassanpur village in Patiala, was produced before the local court on Saturday and sent to judicial custody.

The Sarangpur police said that they were patrolling near the gate of Botanical Garden to keep a tab on anti-social elements on Friday night. Pavittar was coming towards the gate, but as soon as he noticed the policemen, he panicked and tried to flee from the spot.

Calling attention to himself by suddenly talking off, the patrolling team became suspicious and nabbed him. The policemen started sifting him and found 10 banned injectable vials of Buprenorphine and 110gm of heroin from his possession.

Police seized the vials and heroin and brought him to the police station. During sustained interrogation, Pavittar disclosed that he had brought the heroin from Delhi and used to smuggle it to various parts of Punjab and Chandigarh to drug addicts. He said the addicts used to buy heroine at Rs3,000 to Rs 4,000 per gram.

In the last two days, the UT police have arrested three drug peddlers from Sector 38 (West) and Daddumajra and recovered 12 banned vials and 110 gm charas in the drive.

Times of India Dt:01-07-2018

One arrested with banned injections

The crime branch II team of the district police was checking at a post near Government School, village Singhwala. While checking the police team stopped the accused Kanwaljit Singh resident Badshahi Bag, Ambala City and recovered 18 narcotic injections of buprenorphine omgesic 2 ml from his possession. A case under sections of NDPS Act has been registered against the accused at Sadar Ambala police station.

Six nabbed with contraband

The police here have nabbed around six accused including two women in separate cases and recovered contraband from them. The police claimed that some of the arrested accused are already facing the case under NDPS Act while the further investigation was still underway.

Times of India Dt:01-07-2018

Seminar on drug held for cops

Recruit Training Centre, Sector-26 on Saturday organised seminar on drug abuse, illicit trafficking and harmful effects of drugs in society. The event that was attended by 105 cops. In his lecture, Gurwinder Pal Singh of psychiatric department at GMCH in Sector 32 said, "Narcotic drugs damage the nervous system and have adverse effects on body. Drug addicts have poor social relations and are sometimes responsible for many unlawful activities." TNN

Times of India Dt:01-07-2018

Man tries to set two cars on fire

Manjit Sehdev, a resident of Manimajra, has alleged that an unknown person tried to burn two cars parked outside his house. Accused poured petrol on cars to set them on fire, but ran away after neighbors came out of their houses. Manimajra police registered a case against unknown person and started probe.

Three arrested for attempt to murder

On May 22, the Baldev Nagar police station received a complaint from Sachin Kumar, resident Naraingarh Road, Ambala City alleging that the accused Vicky, Lala, Honey, Sachin, Pawan, Baresh, Ginda, Sunny and two-three others on the night of May 21 near Sasan Hospital, Baldev Nagar had assaulted him with slaps, punches and sharp-edged weapon and also tried to kill him with a pistol, while discriminating him on the basis of his caste. On Friday, the police managed to arrest accused Pawan, Dharmendra, alias Honey, both from New Lakshmi Nagar, Jandali, Ambala City, and Gurwinder Singh, a resident of Baldev Nagar.

Times of India Dt:01-07-2018

Cousin duo behind 10 snatchings, thefts

TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, JUNE 30

With the arrest of two cousins, who carried out snatchings in the city on their Bullet motorcycle, the Crime Branch of Chandigarh police has claimed to have solved 10 cases, including five of snatchings and as many of vehicle thefts. These snatchings were reported in the city in the past few weeks.

The snatcher, Ramandeep Singh (23) and his cousin Manjeet Singh (25), who run a hotel near Solan, Himachal Pradesh (HP), were also involved in snatching incidents reported across the tricity. Inspector Amanjot Singh, in charge of Crime Branch, said Ramandeep was apprehended from the Sector 26 police station area on June 26 after a tip-off. During interrogation, he named his cousin Manjeet who was also involved in some of the snatching incidents. Manjeet was arrested from Solan.

Involved in 25 cases reported in tricity

Both cousins have confessed to their involvement in around 25 cases of snatching reported across the tricity. The police said apart from recoveries made in 10 cases of snatching and vehicle theft registered in Chandigarh, one stolen motorcycle and 10 mobile phones had also been recovered from the accused.

Both addicts

The police said the accused were addicted to heroin and committed snatchings to pay the rent of the hotel they had taken on lease in Kumarhatti, near Solan, and to buy drugs.

ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੋ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੋ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਪੱਟੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਝਪਟਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਜੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੁਲੱਥ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ-26 ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦਿ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਮਾਰਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪੱਟੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਉਹ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

स्नैचिंग कर होटल की लीज की राशि चुकाते थे आरोपी

चंडीगढ़, 30 जून (सुशील राज) : बुलेट मोटरसाइकिल पर स्नैचिंग करने के

आरोप में पकड़े गए रमनदीप और उसका भाई मंजीत सिंह ट्राइसिटी में स्नैचिंग कर सोलन में लिए गए होटल की लीज की राशि चुकाते थे। यह खुलासा आरोपियों ने पुलिस रिमांड में किया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक दोनो स्नैचर हैरोइन का नशा करते हैं। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर 10 केस सॉल्व किए हैं। इनमें 5 स्नैचिंग और 5 वाहन चोरी के केस शामिल हैं। इसके अलावा आरोपियों से 10 मोबाइल और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की है। क्राइम ब्रांच ने दोनों को शनिवार को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

वाहन चोरी करने वाले दो चचेरे भाई गिरफ्तार

कार्रवाई

- एक बुलेट सहित 10 मोबाइल फोन किए बरामद

आज समाज नेटवर्क

चंडीगढ़। क्राइम ब्रांच ने शनिवार को स्नेचिंग और वाहन चोरी करने वाले दो चचेरे भाइयों को थाना गिरफ्तार किया है। दोनों भाइयों की पहचान पहचान पंजाब के डेराबस्सी निवासी 23 साल के रमनदीप सिंह और कपूरथला के 25 साल के मनजीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शनिवार को उन्हें जिला अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

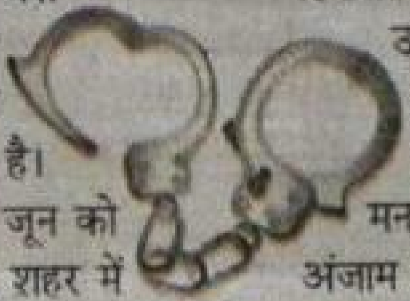

क्राइम ब्रांच को 26 जून को सूचना मिली थी कि शहर में बुलेट पर स्नेचिंग और वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला एक आरोपी थाना-26 क्षेत्र में घूम रहा है। इसपर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह की देखरेख में टीम गठित की गई। टीम ने थाना 26 क्षेत्र में नाका लगा लिया। नाके के दौरान बुलेट पर आ रहे रमनदीप सिंह को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब उससे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अपनी मौसी के लड़के मनजीत सिंह के साथ वारदात को अंजाम देता था। आरोपी मनजीत को 27 जून को सोलन के पास कुमारहट्टी के एक होटल से काबू किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों भाई ट्राइसिटी में 25 के करीब स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।

Jag Marg Dt: 01/07/2018

ड्रग एब्यूज पर पुलिस लाइन में सेमिनार आयोजित

चंडीगढ़ | सेक्टर 26 पुलिस लाइन में रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में ड्रग एब्यूज पर सेमिनार का आयोजन किया गया। डीजीपी यूटी संजय बेनीवाल की गाइडलाइंस पर आयोजित इस सेमिनार में 105 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल ने हिस्सा लिया।

इस दौरान जीएमसीएच 32 स्थित साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गुरविंदर पाल सिंह ने पुलिस कर्मियों को लेक्चर दिया कि ड्रग एब्यूज का जीवन पर क्या बुरा असर पड़ता है।

Dainik Bhaskar Dt: 01/07/2018

ई-सुविधा के बारे में पुलिस लोगों को करेगी अवेयर

सिटी रिपोर्टर | चंडीगढ़

पुलिस लोगों को सिटीजन सेंट्रिक ई-सर्विस के बारे में जागरूक करेगी। हाल ही में लोगों को इस संबंध में पेम्फलेट्स बांटे जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ई-सुविधा का लाभ उठा सकें। लोगों को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए थाने के चक्कर न काटने पड़ें। पेम्फलेट्स के जरिये लोगों को यह जानकारी दी जाएगी कि किस तरह लोग अपनी शिकायत ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। इन दिनों अधिकतर लोग कम्प्यूटर या एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि पुलिस सभी लोगों तक पहुंचने के लिए इस योजना का इस्तेमाल करवा रही है। ई-सुविधा के जरिये लोग अपनी एफआईआर की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। टेनेंट वेरीफिकेशन करवा सकते हैं। अपने ड्राइवर की वेरीफिकेशन भी इसी के जरिये करवा सकते हैं। मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट भी ई-सर्विस के जरिये कर सकते हैं। अपनी शिकायत को रजिस्टर करवाने व उसका स्टेटस इस योजना के तहत जान सकते हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट की वेरीफिकेशन इस सर्विस के जरिये की जा सकती है। इसके अलावा कैरेक्टर वेरीफिकेशन भी इस सर्विस के जरिये की जा सकती है।

यहां लॉगइन करें

एसएचओ रंजीत सिंह ने बताया ई-सर्विस का लाभ ज्यादा लोग उठाएं इसलिए लोगों को पेम्फलेट्स भेजे जा रहे हैं। लोग citizenportal.chandigarhpolice.gov.in में लॉगइन करके इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं।

Dainik Bhaskar Dt: 01/07/2018

बेवजह हॉर्न बजाया तो हो सकता है एक हजार का चालान

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। 'चंडीगढ़ दिखने में सुंदर, इसे सुनने में भी सुंदर बनाएं'। यह स्लोगन है चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस का सिटी ब्यूटीफुल को 'हॉर्न फ्री' बनाने की पहल का। लेकिन, इसके बावजूद भी लोग नहीं माने और बेवजह हॉर्न बजाते पाए गए तो ट्रैफिक पुलिस उनका एमवी एक्ट 190 के तहत चालान कर सकती है। इस चालान पर एक हजार रुपये का जुर्माना है। ऐसे में अगली बार बेवजह हॉर्न बजाने से पहले एक दफा जरूर सोच लें।

एसएसपी ट्रैफिक शशांक आनंद के अनुसार, इस साल से ट्रैफिक पुलिस ने शहर को हॉर्न फ्री बनाने की कवायद की है। इसके लिए तब से लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद कुछ जगहों जैसे मार्केट, स्कूलों के पास, रिहायशी एरिया में वाहन चालकों द्वारा बेवजह हॉर्न बजाए जाने की शिकायतें आती हैं। स्थानीय लोग पुलिस के 'नो हॉर्न' अभियान के बाद सहयोग कर रहे हैं, लेकिन शहर में बाहर से आने वाले लोगों को इसका पता नहीं होता।

बेवजह हार्न बजाने वाले अधिकतर वाहन बाहर से आने वाले

एसएसपी शशांक आनंद के अनुसार एक तथ्य सामने आया है कि अधिक हार्न बजाने वाले अधिकतर लोग शहर में बाहर से आने वाले होते हैं इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने अब शहर के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर लोगों को जागरूक करने के मकसद से बोर्ड लगाए हैं। इसमें लोगों को बेवजह हॉर्न न बजाने की अपील की गई है। वहीं कई लोगों का मानना है कि तेज हॉर्न बजाने पर पुलिस को चालान का अधिकार नहीं है तो उनके लिए साफ संदेश है कि, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190 के तहत पुलिस उनका चालान कर सकती है। इस चालान की जुर्माना राशि एक हजार रुपये है।

Amar Ujala Dt: 01/07/2018